

प्रेषक,

महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

सेवा में,

1) मुख्य सम्पादक,
टाइम्स ऑफ इंडिया,
प्रयागराज।

2) मुख्य सम्पादक,
दैनिक जागरण,
प्रयागराज।

No 4686 / Reg(P) Reg(P)

Date 22-6-2024

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है निम्नलिखित नीलामी सूचना को आपके दैनिक समाचार पत्र में छापने के साथ बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।

नीलामी सूचना

“सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित सामाग्री की नीलामी जहां है, जैसे है, के आधार पर तालिका में अंकित स्थान पर निविदा प्रकाशन तिथि से 15 कार्य दिवस के अन्दर प्रत्येक शनिवार अपराह्न 2:00 से 4:00 तक देखी जा सकेगी। नीलामी में वही व्यक्ति/संस्था भाग ले पायेगी जो निर्धारित धरोहर धनराशि, जी0एस0टी0 प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रतियां उपनिबन्धक(नजारात) को जमा की जायेगी। यह धरोहर धनराशि बैंको द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/बैंक चेक के रूप में महानिबन्धक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद के नाम देय होगी।

सामाग्री का विवरण	अनुमोदित लगत	सामाग्री का स्थान	धरोहर धनराशि	नीलामी
निष्प्रयोज्य 09 इलेक्ट्रिकल्स पैनल एवं निष्प्रयोज्य पम्प, मोटर एवं अन्य फायर फाइटिंग सामाग्री	रू08,17,948/-मात्र	मा0 उच्च न्यायालय परिसर, इलाहाबाद	रू082,000/-मात्र	जहां है, जैसे है।

नियम/शर्त:- महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद को नीलामी रद्द करने, तिथि परिवर्तित करने तथा उच्चतम दर प्रस्ताव (बिड) की अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। निविदा की सम्पूर्ण धनराशि 3 दिन के अन्दर शिड्यूल बैंक के द्वारा जारी ड्राफ्ट के रूप में जमा करनी होगी। सरकार द्वारा लागू जी0एस0टी0 सामाग्री मूल्य पर अतिरिक्त जिसकी बिड स्वीकृति स्वीकृत होती है (खरीददार) द्वारा देय होगी। जी0एस0टी0 जारी करने का प्रमाण-पत्र देने के उपरान्त ही धरोहर धनराशि वापिस की जायेगी। समस्त न्यायालय विवाद का क्षेत्र प्रयागराज होगा। इस नीलामी की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की वेबसाईट <https://www.allahabadhighcourt.in/> पर प्राप्त की सकेगी।”


(अशीष कुमार श्रीवास्तव)
निबन्धक(शिष्टाचार)